Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री भंवर भील वगै. बनाम जमना भील वगै0

किस्म मुकदमा ....वादपत्र धारा 88, 89, 92क, 188 आर.टी.एक्ट प्र.न. 363 सन् 2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.02.2018	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2012 से लम्बित होकर आज वादी को प्रस्तुत करने विपक्षीगण 02 लगायत 08 के सम्मन/प्रोसेस हेतु नियत है। यानि प्रकरण विगत 6 वर्षो से विपक्षीगणों की तलबी चरण पर विचाराधीन है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। पैशी दर पैशी निरन्तर वादी को उपरोक्त प्रतिपूर्ति बाबत स्मरण कराया जाता रहा है। एक ही विषय को लेकर बार बार स्मरण कराया जाना भी उचित नही है। इस सन्दर्भ में अतिरिक्त अवसर और दिये जाने का भी कोई संतोषप्रद कारण वादी द्वारा पूर्व में सुझाया नही गया है। एक ही चरण पर पत्रावली को निरन्तर सुनावई पर चलाये जाने से न्यायालय का समय व श्रम दोना जाया होता है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 05 सी.पी.सी. के तहत, वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)	